फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री कैलाशचन्द्र बोल्या (एडवोकेट) पता – चेम्बर नं0 17, न्यायालय परिसर राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 88/2023**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 20.03.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से जरिये क्रमांक :– RTI /2023–24/1007 दिनांक 21.12.2023 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी श्री कैलाशचन्द्र बोल्या (एडवोकेट) पता– चेम्बर नं. 17, न्यायालय परिसर, राजसमन्द द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 29.09.2023 को वर्ष 2013 में संपरिवर्तन की खारिज पत्रावली, अनवान सोमा/नाथु भील की प्रतिलिपि चाही थी। उक्त पत्रावली को कार्यालय हाजा के रेकार्ड रूम में काफी तलाश करने पर भी निर्धारित स्थान पर उक्त पत्रावली नहीं मिली व तत्समय विधानसभा आम चुनाव 2023 होने से समस्त कार्मिक चुनाव कार्य में व्यस्त होने से कमेटी का गठन नहीं किया जा सका। इस दौरान प्रतिलिपि हेतु निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने से इस प्रकरण की प्रार्थी ने प्रथम अपील श्रीमान् के कार्यालय में अपील संख्या 88/2023 अनवान श्री कैलाशचन्द्र बोल्या बनाम लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द की गई। तथा वर्तमान में कार्यालय आदेश क्रमांक :– रेकार्ड/2022–23/1003 दिनांक 20.12.2023 द्वारा उक्त पत्रावली को कार्यालय के रिकार्ड रूम में ढुंढने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया है तथा दिनांक 02.01.2024 को अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित पत्र में पत्रावली ढुंढने का हवाला दिया गया जो कि अवैध एवं विधि विरूद्ध है, विपक्षी प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थी को RTI के प्रावधानो के अनुसरण में विहित समय में सूचना उपलब्ध कराने की नियमानुसार बाध्यता है तथा जिसके बाद लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से जरिये क्रमांक :– RTI/2024/208 दिनांक 27.02.2024 अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के सबंध में पत्रावली गुमशुदान होने से गुमशुदगी रिपोर्ट/पत्र थानाधिकारी राजनगर राजसमन्द में की गई। जिसके संबंध में थानाधिकारी राजनगर राजसमन्द के गुमशुदगी रजिस्टर के क्रमांक 49/2024 दिनांक 06.03.2024 दर्ज किया गया।	

न्यायालय जिला कलक्टर

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द की रिपोर्ट तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द की रिपोर्ट के आधार पर वांछित सूचना से संबंधित पत्रावली कार्यालय हाजा के रेकार्ड रूम में काफी तलाश करने पर भी निर्धारित स्थान पर उक्त पत्रावली नहीं मिली। उक्त बाबत पत्रावली को कार्यालय के रिकार्ड रूम में ढुंढने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया। पत्रावली गुमशुदान होने से गुमशुदगी रिपोर्ट/पत्र थानाधिकारी राजनगर राजसमन्द में की गई। जिसके गुमशुदगी रजिस्टर क्रमांक 49/2024 दिनांक 06.03.2024 दर्ज होने से इस न्यायालय स्तर पर आगे कोई नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित नही होने से उक्त प्रकरण निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)